छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील क्रमांक 137 / 2006

डॉ0 अनिल खाखरिया,
पुराना बस स्टैण्ड,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
   शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. अपीलीय अधिकारी,
   शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय,
   रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::

(दिनांक 10 नवम्बर 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17–02–2006 को जन सूचना अधिकारी, शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के पास सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। पूर्व में जन सूचना अधिकारी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया। अपीलार्थी ने निर्धारित प्रारूप के संबंध में जानकारी चाही, जिसकी प्रति राज्य सूचना आयोग को भी दी, तब आयोग ने पत्र दिनांक 16–03–2006 के द्वारा जन सूचना अधिकारी को आदेशित किया कि कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। तत्पश्चात् प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20–04–2006 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना बताया गया, इससे असंतुष्ट होकर दिनांक 27–04–2006 को सूचना आयोग के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभयपक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में दिनांक 06–07–2006 को जन सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण एकतरफा कार्यवाही की जाकर उन्हें अधिनियम की

धारा–20(1) के अंतर्गत 25,000/– रूपए शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उनके द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया, साथ ही विलम्ब हो जाने के कारण 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के परिपालन में जिन 20 बिन्दुओं की जानकारी आवेदक के द्वारा मांगी गई थी, उनमें से अधिकांश बिन्दुओं की जानकारी आवेदक को निःशुल्क दी जा चुकी है। कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में जन सूचना अधिकारी ने बताया है कि एक पुस्तिका अधिनियम के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था, उसमें निर्धारित प्रारूप दिया गया था, भ्रमवश उसी निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था और कुछ जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण उनकी सहमति के उपरांत दिया जाना संभव हो सकेगा, ऐसा सूचित किया गया था। विस्तार से विलम्ब का कारण अपने उत्तर में स्पष्ट किये हैं। जिन बिन्दुओं की जानकारी नहीं दी गई है, उनमें उन्होंने बताया कि विशाल जनहित के कारण ही यह जानकारी नहीं दी जा सकी है। उन्होंने अपने उत्तर में अन्य आवेदकों को समय पर दी गई जानकारी का चार्ट भी प्रस्तुत किया गया है और यह बताया गया है कि आवेदक की रूचि केवल जुर्माना करवाने का है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक ने दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहा था और तत्पश्चात् उनके द्वारा अवलोकन भी किया गया। तर्क के दौरान यह भी बताया गया कि तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी है, जिसका दुरूपयोग करके भारतीय दन्त परिषद् से महाविद्यालय की मान्यता रद्द कराने हेतु यह जानकारी चाही जा रही है और जो भी कार्यवाही की गई है वह पूरे पारदर्शी तरीके से की गई है और छात्रों के विशाल हित में यह जानकारी नहीं दी जा सकी है और जो तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी है, उनका नहीं देना ही उचित है। इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा बहस के समय यह कहा गया कि जो जानकारी छिपाई जा रही है, भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण है और छात्रों के हित में उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो और इसमें कोई भ्रष्टाचार न हो इसके लिए उन्हें जानकारी दिलवाई जाना आवश्यक है। इन्होंने एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी लिखित बहस में दिया, उसमें शिक्षा को व्यापार नहीं मानने संबंधी मुद्दा है, किन्तु उस प्रकरण का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है तथा इस प्रकरण से संबंधित नहीं होने के कारण इसमें लागू होना नहीं माना सकता।

3/ उभय पक्ष के तर्कों पर विचार करने के उपरान्त आयोग का यह मत है कि आवेदक द्वारा मांगी गई विस्तृत जानकारी में से अधिकांश जानकारी उन्हें निःशुल्क प्रदान की गई है और जो जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण और विशाल जनहित को देखते हुए नहीं दी गई है, उसके संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया तर्क अपने स्थान पर सही है और उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में भ्रष्टाचार और छात्रों की शिक्षण में स्तरहीनता की बात कही गई है, उस संबंध में

वैसे तो भारतीय दन्त परिषद् प्रतिवर्ष निरीक्षण कराता है और उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है कि वे महाविद्यालय पर निगरानी रखें और निरीक्षण में यदि कमियाँ पाई जाती है तो संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करें और यदि अपीलार्थी चाहता है तो उनसे सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करा सकता है, किन्तु फिर भी विशाल जनहित एवं छात्रों के हित को देखते हुए सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे चिकित्सा विशेषज्ञों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति का गठन करें और एक माह के अंदर उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण करवाकर यह सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी द्वारा उठाये गये मुद्दों में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है और छात्रों के शिक्षण में कोई स्तर में गिरावट तो नहीं आई है। इस निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण टीप की एक प्रति आयोग को भी भेजी जावे।

4/ अतः उपरोक्त स्थिति को देखते हुए तथा चूँकि जन सूचना अधिकारी की कोई दुर्भावना नहीं थी, अतः जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद मान्य कर जारी शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु कुछ विलम्ब से आवेदक को इस संबंध में आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है, अतः अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत यह निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग द्वारा अपीलार्थी आवेदक को क्षतिपूर्ति के रुप में 500/– रूपए की राशि का भुगतान किया जावे।

5/ उक्त निर्देशों के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं।

हस्ता0/– 10–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त